

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2056 / 2014 / जयपुर.

इण्डियन ऑयल कारपोरेशन,
257, आदर्श नगर, जयपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड- II, प्रतिकरापवंचन, भरतपुर.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री टी.सी. जैन,
अभिभाषक
श्री एन.के.बैद,
उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से

.....प्रत्यर्थी की ओर से..

निर्णय दिनांक : 23.05.2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा गया है) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 78(5) के तहत अपील संख्या 261/अ.प्रा.- II/आरएसटी/जयपुर/2013-14 में पारित किये गये आदेश दिनांक 16.09.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपूर्ण एसटी-18ए से माल का परिवहन किये जाने के कारण वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, घट-II, भरतपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा इस परिवहन को अधिनियम की धारा 78(2) का उल्लंघन मानकर अधिनियम की धारा 78(5) के तहत शास्ति आदेश दिनांक 05.12.2001 पारित किया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर उन्होंने अपने आदेश दिनांक 15.03.2002 द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की। अपीलीय अधिकारी के अपील आदेश के विरुद्ध विभाग द्वारा कर बोर्ड के समक्ष अपील पेश करने पर कर बोर्ड द्वारा अपने निर्णय दिनांक 16.04.2003 से विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर दिया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध विभाग द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिवीजन दायर करने पर उन्होंने दिनांक 16.05.2013 को प्रकरण का निस्तारण करते हुए अपील कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर दी, जिसकी पालना में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रकरण का निस्तारण करते हुए पुनः शास्ति आदेश दिनांक 25.09.2014 पारित कर शास्ति राशि रूपये 2,32,599/- एवं इस क्रम में शास्ति अदेयता के कारण ब्याज राशि रूपये 3,68,438/- का आरोपण कर कुल मांग राशि रूपये 6,01,037/- कायम करके अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा जमा करवायी गयी राशि रूपये 23,260/- का समायोजन देते हुए मांग राशि रूपये 5,77,777/- कायम की गयी हैं। कर निर्धारण

लगातार.....2

अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 25.09.2014 के विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर उन्होंने अपने आदेश दिनांक 16.09.2014 द्वारा प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए शास्ति को यथावत् रखते हुए ब्याज राशि को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति के बिन्दु पर दिये गये आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उनके विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर बहस के दौरान कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा परिवहनित माल का स्टॉक ट्रांसफर किया जा रहा था, एवं माल के साथ वक्त चैकिंग समस्त दस्तावेजात् मौजूद थे, मात्र घोषणा प्रपत्र एस.टी.18ए अपूर्ण रूप से भरा था, जो कि तकनीकी त्रुटि की श्रेणी में आता है। तथा स्टॉक ट्रांसफर पर कर का आरोपण नहीं किया जाता है, तो बिना कर के शास्ति का आरोपण किया जाना निरर्थक है। उन्होंने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना कारण बताये ही शास्ति का आरोपण कर दिया। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय सीटीओ बनाम मैसर्स जैन ट्यूब 30 टैक्स अपडेट 125 एवं एसीटीओ बनाम नेशनल इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज लि. 37 टैक्स अपडेट 136 को उद्धरित किया है। आगे उन्होंने अपने कथन में शास्ति के बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को अपास्त करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि अधिनियम की धार 78(2) के अनुसार परिवहनित माल के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज पूर्ण होने चाहिए। परन्तु वक्त परिवहन परिवहनित माल के साथ आवश्यक घोषणा प्रपत्र एस.टी. 18ए पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं पाया गया, जो कि अपीलार्थी व्यवहारी की कर चोरी की मंशा को दर्शाता है। इस पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति पूर्णतया विधिक है। आगे उन्होंने अपने कथन में शास्ति के बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवहनित माल के साथ आवश्यक घोषणा प्रपत्र एस.टी.18ए संलग्न था, परन्तु वह अपूर्ण था। इस पर अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उद्धरित निर्णयों के तथ्य इस प्रकरण से भिन्न होने के कारण इस प्रकरण पर लागू नहीं होते हैं। इस संबंध में माननीय उच्चतम

न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज में पुनः उक्त डी. पी. मैटल्स के निर्णय की पूर्ण व्याख्या के साथ निर्णय दिया है कि जहां घोषणा पत्र संलग्न तो कर रहे हैं परन्तु यदि वे अपूर्ण हैं तब उन्हें धारा 78(2)(ए) की compliance नहीं मानी जायेगी।

7. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गुलजग इण्डस्ट्रीज के निर्णय में घोषणा पत्र होना ही "sufficient" नहीं माना बल्कि उसके अनिवार्य प्रविष्टियों को भरा जाने पर ही विधिक compliance किया जाना माना है। इस निर्णय में यह सिद्धान्त भी प्रतिपादित किया है कि अनिवार्य प्रावधानों के उल्लंघन पर शास्ति आरोपण के लिये दोषी मनोभाव (mensrea) को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के सारगर्भित अंश निम्न प्रकार से है—

.....If form which ultimately goes to the A.O. is blank in all material respects then is impossible for the A.O. to assess the dealer and it is this practice which has resulted in loss of revenue in crores to the State. Without description of the goods imported, it is easy to manipulate the value. If material particulars are not submitted, one fails to understand how assessment could be finalized. Moreover, as submitted on behalf of the State if has become a common practice to circulate the same form again and again resulting in loss of revenue to the State. It is for this reason that Rule 53 of the RST Rules 1995 contemplates the forms to be submitted duly filled in and duly completed. In the present case, the goods in movement were not supported by duly filled in Form No. 18A/18C. Therefore, there was contravention of Section 78(2) of the RST Act. 1994.....

.....As stated above, if the form is left incomplete and if the description of the goods is not given then it is impossible for the assessing officer to assess the taxable goods. Moreover, in the absence of value/price it is not possible for the A.O. to arrive at the taxable turnover as defined under Section 2(42) of the said Act. Therefore, we have emphasized the words "material particulars" in the present case.....

....."As stated, we are concerned with the blank declaration Form 18A/18C which has traveled with the goods in movement, thought signed, was left deliberate blank. The declaration Form 18A/18C is like a return under the Income-Tax Act, 1961. The Assessing Officer completes the assessment on the basis of Form 18A/18C. If that form is left blank in all material respects then it is impossible for the A.O. to arrive at the taxable turnover of the assessee. Therefore, in our view, the judgment of this Court in D.P. Metals (supra) has no application to the present case."

8. माननीय उच्चतम न्यायालय के दोनों निर्णय परिवहन में दस्तावेजों की अनिवार्यता पर एवं अधिनियम 1994 की धारा 78(2) के प्रावधान में रखी शर्तों की पालना पर केन्द्रित है। माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष डी.पी.मैटल्स के निर्णय के बाद पुनः गुलजग इण्डस्ट्रीज (2007) 18 टैक्स अपडेट 321 का प्रकरण प्रस्तुत होने पर माननीय न्यायालय ने निर्णय दिया कि अपूर्ण घोषणा पत्र या खाली घोषणा पत्र प्रस्तुत होने की स्थिति में शास्ति का आरोपण किया जाना विधिक है। माननीय न्यायालय ने डी.पी.मैटल्स के निर्णय को उसके तथ्यों के आलोक में पूरी तरह पृथक करते हुए यह अवधारित किया है कि आर्थिक अपराध में Mensrea का बिन्दु पूर्णतया अप्रासंगिक है एवं अनिवार्य घोषणा पत्र पूर्ण भरा नहीं होने पर शास्ति आरोपणीय है।

9. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में पारित निर्णय **Agrotech Food**

लगातार.....4

Limited Vs. Acto FS, Bhadra (2017) 47 TUD Page 47 पर पुनः माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त दोनों निर्णयों की पूर्ण व्याख्या के साथ घोषणा पत्र अपूर्ण होने पर शास्ति के आरोपण को उचित माना है।

10. माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट रूप से कहा है कि घोषणा पत्र की विधिक अनिवार्यता पूरी नहीं होने पर शास्ति आरोपणीय है।

11. फलतः माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


(मदनलाल मालवीय)
सदस्य